कार्यालय / Office
वन सूचना विज्ञान प्रभाग
Forest Informatics Division
दै०सं०................ Diary No. 522
दिनांक................ Dated 19.03.18

संख्या 0–51 / 92 / रेंज / सिल्वा / 335
रेंज कार्यालय,
वन सवंर्धन प्रभाग
वन अनुसंधान संस्थान
पों0 ऑ0 न्यूँ फॉरेस्ट, देहरादून

दिनांक 16.3.2018

परिपत्र

जैसा कि विदित हैं कि अग्निकाल प्रारंभ हो गया है। व0 अ0 सं0 आरक्षित वन में किसी भी समय आग लगने की संम्भावना बनी रहती हैं। संस्थान परिसर में आबंटित सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारियों, आउटहाउसों में निवास कर रहे कई लोग और कूड़ा–कचरा एवं सूखी पत्तियों / शाखाओं आदि की सफाई के काम में लगे लोग इन पदार्थों को खुली जगह में जलाते है, इसके अतिरिक्त लोग जलती बीड़ी, सिगरिट इत्यादि को भी लापरवाही से इधर उधर फेंक देते है। जिससे की आग लगने की घटनाऐं होती है। घरों के आस पास सूखी झाड़ियॉ, पत्ते इत्यादि इकट्ठा न होने दें जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

अतः वन अनुसंधान संस्थान परिसर के सभी निवासियों के ध्यान में लाया जाता है कि वे किसी भी तरह का कूड़ा-कचरा एवं सूखी पत्तियॉ / शाखाऐं आदि खुले स्थानों में न जलाएं तथा इस प्रकार की सूखी पत्तियों आदि को अपने घरों / कार्यालयों के पीछे छोटे गड्ढ़ों में दबा दें तथा अजैविक कूड़े को सार्वजनिक कूड़ादानों अथवा कूड़ा गाड़ी में डालें। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की आगजनी करना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार जो भी उक्त कृत्य करते हुये देखा गया, तो उसके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के तहत कार्यवाही की जायेंगी।

अमिता चौधरी

प्रभाग प्रमुख
वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग
वन अनुसंधान संस्थान

मानक वितरण

FRI website